

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05-05 लीटर(कुल 10ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- महेन्द्र पुत्र स्व0 चन्द्रबली 2- शिवपूजन पुत्र लखन केवट निवासीगण मोहल्ला नायक टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 243/20 व मु0अ0सं0 244/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2545 को

थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत कोल्हुआ लकड़ा से इवेन्ट संख्या 3798 से कालर नें मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल दोनों व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुँचकर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 अंजनी कुमार, म0आ0 सीमा यादव, म0आ0 प्रेमा, हो0चा0 सुनील पाण्डेय ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनो से 60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनो से 60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।